न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—23 / 20 (2020 / 00064) वाद पत्र

अनवान

1—पोखरमल आत्मज आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मोहनलाल आत्मज आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—कन्हैयालाल आत्मज आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—नारायणलाल आत्मज आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—हेमी पुत्री आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—भूरी पुत्री आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—पुष्पा पुत्री आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—गंगाबाई पत्नि आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—लेहरू आत्मज देवा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—मोडीराम आत्मज देवा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—भागु आत्मज देवा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—शंकर आत्मज रामलाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—लादी पुत्री रामलाल नाबाबेवि जरिये माता शांताबाई पत्नि रामलाल कुमावत नि0 दियास
14—माना पुत्री रामलाल नाबाबेवि जरिये माता शांताबाई पत्नि रामलाल कुमावत नि0 दियास
15—दीपा पुत्री रामलाल नाबाबेवि जरिये माता शांताबाई पत्नि रामलाल कुमावत नि0 दियास
16—शांताबाई बेवा रामलाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—केसर पुत्री देवा रामलाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—रामेश्वर आत्मज भैरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
19—गोपी पुत्री भैरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
20—चान्दी पत्नि भैरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1—उदयराम आत्मज डालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—पुरणमल आत्मज ड़ालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—प्रेम पुत्री डालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—कोयली पुत्री डालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—चान्दी पत्नि डालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—बालु पिता दयाराम कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—रेवता पिता दयाराम कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली जरिये शाखा प्रबन्धक तह. रायपुर जिला भीलवाडा
9—राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—गिरधारी आत्मज दयाराम कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 02 / 09 / 2020

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में देवा आत्मज गंगाराम, दल्ला आत्मज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:45:53 IST
Reason: SelfAttested

कुशाल, दयाराम, भारू, आत्मज सोला कुमावत के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 148 रकबा 5 बिस्वा आराजी संख्या 250 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बिघा 17 बिस्वा भूमि स्थित थी जिनमें देवा का 1/3 हिस्सा, दल्ला का 1/3 व दयाराम भारू का 1/3 हिस्सा निहित था। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सवंत 2014 से 2018 तक प्रस्तुत की है। गंगाराम आत्मज कुशाल के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त आराजियात उनके गोद पुत्र देवा आत्मज गंगाराम के नाम नामान्तरित हुई तथा देवा के प्राकृतिक पिता दल्ला के स्वर्गवास के बाद उनकी विरासत का नामान्तरणकरण देवा आत्मज गंगाराम के नाम नामान्तरित हुआ। वादग्रस्त आराजियात में देवा का 2/3 हिस्सा व दयाराम भारू आत्मज सोला का 1/3 हिस्स दर्ज रकार्ड हुआ। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सवंत 2018 से 2021 तक साथ प्रस्तुत है। संवत 2018 से 2021 की जमाबन्दी में देवा आत्मज गंगाराम का 2/3 हिस्सा व दयाराम आत्मज सोला का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था लेकिन आगे रोटेशन की जमाबन्दियो में पटवारी हल्का ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 में देवा आत्मज गंगाराम, दयाराम आत्मज सोला कुमावत का 1/2–1/2 हिस्से से दर्ज कर दिया जब कि वादग्रस्त आराजियात में दयाराम आत्मज सोला का 1/3 हिस्सा ही निहित था। जो आगे रोटेशन की जमाबन्दी में उक्त गलत इन्द्राज चलता रहा है। ग्राम दियास तहसील रायपुर का नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसमें साबिक आराजी संख्या 148, 250 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा के नवीन नम्बर 333 रकबा 0.05 है0, 902 रकबा 0.29 है0, 903 रकबा 0.33 है0, 904 रकबा 0.27 है0, 907 रकबा 0.29 है0, 908 रकबा 0.26 है0, 915 रकबा 0.42 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है0 कायम किये गये है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम दियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 333, 902, 903, 904, 907, 908, 915 कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है0 भूमि 1/2 हिस्से के बजाय 2/3 हिस्से के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्से के खातेदार है तदनुसार वादीगण का नाम उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22/05/2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी उपस्थित हुए जिन्होने वाद अनुसार राजस्व अनुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में दुरस्ती करने हेतु कोई आपत्ति नही कर सहमति व्यक्त की गई। संख्या 8, 9 फोरमल पक्षकार होने से वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में आगामी रोटेशन लिखते समय हिस्सा दर्ज ... भूल हुई है रेकार्ड

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:45:53 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार दुरस्त करने में उपस्थित प्रतिवादीगणो को कोई आपत्ति नही है अतः वाद डिक्री फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि साबिक रेकार्ड में उक्त आराजी के तीन खातेदार थे जिसमें दल्ला के फोत होने पर दल्ला की विरासत देवा पिता गंगाराम के नाम दर्ज होने से देवा के हिस्से में अपने प्राकृतिक पिता गंगाराम एवं दल्ला के 1/3, 1/3 अर्थात 2/3 हिस्स दर्ज हुआ और 1/3 हिस्सा दयाराम भारू पिता सोला का रेकार्ड अनुसार है और इसी अनुसार हिस्सा दर्ज करने में प्रतिवादीगणो द्वारा कोई आपत्ति नही कर अपनी सहमति व्यक्त की गई। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण ग्राम दियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में नवीन आराजी नम्बर 333 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 902 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 903 रकबा 0.33 है0, आराजी नम्बर 904 रकबा 0.27 है0, आराजी नम्बर 907 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 908 रकबा 0.26 है0, आराजी नम्बर 915 रकबा 0.42 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है0 भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा के बजाय 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादीगणो का 1/2 हिस्सा के बजाय 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.9.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:45:53 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–23/20 (2020/00064) वाद पत्र

अनवान

1–पोखरमल आत्मज आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–मोहनलाल आत्मज आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–कन्हैयालाल आत्मज आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–नारायणलाल आत्मज आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–हेमी पुत्री आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–भूरी पुत्री आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–पुष्पा पुत्री आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–गंगाबाई पत्नि आसु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9–लेहरू आत्मज देवा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10–मोडीराम आत्मज देवा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11–भागु आत्मज देवा कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12–शंकर आत्मज रामलाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13–लादी पुत्री रामलाल नाबाबेवि जरिये माता शांताबाई पत्नि रामलाल कुमावत नि0 दियास
14–माना पुत्री रामलाल नाबाबेवि जरिये माता शांताबाई पत्नि रामलाल कुमावत नि0 दियास
15–दीपा पुत्री रामलाल नाबाबेवि जरिये माता शांताबाई पत्नि रामलाल कुमावत नि0 दियास
16–शांताबाई बेवा रामलाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17–केसर पुत्री देवा रामलाल कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18–रामेश्वर आत्मज भैरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
19–गोपी पुत्री भैरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
20–चान्दी पत्नि भैरू कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1–उदयराम आत्मज डालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–पुरणमल आत्मज डालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–प्रेम पुत्री डालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–कोयली पुत्री डालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–चान्दी पत्नि डालु कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–बालु पिता दयाराम कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–रेवता पिता दयाराम कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली जरिये शाखा प्रबन्धक तह. रायपुर जिला भीलवाडा
9–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10–गिरधारी आत्मज दयाराम कुमावत निवासी दियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:45:53 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम दियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में नवीन आराजी नम्बर 333 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 902 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 903 रकबा 0.33 है0, आराजी नम्बर 904 रकबा 0.27 है0, आराजी नम्बर 907 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 908 रकबा 0.26 है0, आराजी नम्बर 915 रकबा 0.42 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है0 भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा के बजाय 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादीगणो का 1/2 हिस्सा के बजाय 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 02.09.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:45:53 IST
Reason: SelfAttested